REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com

REGISTERED POST/E-MAIL

RPCB/RO NGR/PUB-216/ 2065-2069 **Date:** 15/09/2025

Shri Mehul Agarwal,
M/s Suncity Chemical & Minerals Private Limited,
R/o- Light Industrial Area, 27 A, 68 Adarsh Society, ITI, Jodhpur, Raj. 342003.

Sub.:- Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of proposed Mining Project at **"Near Village- Haripura, Tehsil- Khinvsar and District- Nagaur by M/s Suncity Chemical & Minerals Private Limited, Block No.- TKSB-24, with project area of 4.80 hectare and the proposed production capacity of 256205.1 TPA (ROM) for Mining of Limestone".**

Ref.:-
1. Letter no. 7621 dated 10.09.2025 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no.1604 dated 13.08.2025.
3. Terms of Reference (ToR) issued by SEAC, Rajasthan, File No. RJ/25/SEAC2(06)/MIN/TOR/0802 dated 12.08.2025.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 7621 dated 10.09.2025 in which public hearing has been finalized on dated 28.10.2025 at 01.00 PM. Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper and one regional daily newspaper in any case on or before 27.09.2025 The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Govt. Upper Primary School, Nayako ki Dhani, Haripura, Tehsil Khinvsar, District Nagaur for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,

(Rajkumar Meena)
O/C Regional Officer, Nagaur

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 7621 dated 10.09.2025.
3. The Sub- Division Magistrate, Khinvsar, Tehsil- Khinvsar, District- Nagaur
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

O/C Regional Officer, Nagaur

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com

REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "लाइमस्टोन खनन परियोजना **मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड**, ब्लॉक नं.:– **TKSB-24,** **प्रस्तावित क्षेत्र– 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 256205.1** टीपीए, निकट गांव– हरिपुरा, **तहसील– खींवसर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन** की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुंकि **मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड** को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:–
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. उपवन संरक्षक, नागौर।
   7. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
   8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   9. खनि. अभियंता, नागौर।
   10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   11. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   12. उपखण्ड अधिकारी, खींवसर।
   13. तहसीलदार, खींवसर ।
   14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति– खींवसर।
   15. ग्राम पंचायत, बैरावास, तहसील–खींवसर, जिला– नागौर।
   16. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढ़ाणी, हरिपुरा, तहसील–खींवसर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई **दिनांक 28.10.2025 को दोपहर** 01:00 बजे, स्थान– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढ़ाणी, हरिपुरा, तहसील–खींवसर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय

O/c (राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी